पंजाब केसरी दिल्ली

मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी: अनुराग

चंडीगढ़, (पंजाब केसरी) : हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग अग्रवाल ने कहा कि 25 मई को छठे चरण के दौरान प्रदेश में हुए लोकसभा आम चुनाव 2024 की मतों की गणना 4 जून को होगी। ईटीपीबीएस व पोस्टल बैलेट की गणना एक अति महत्वपूर्ण पहलू है, इसलिए रिटर्निंग अधिकारियों को स्वयं इसे करना होगा।

इसके लिए मतदान केंद्रों पर प्रर्याप्त संख्या में अच्छे स्कैनर की व्यवस्था की जाएगी। हर 10 स्कैनर पर एक सहायक रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा, मतगणना के हर टेबल पर अलग से सहायक रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति भी की गई है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रदेश के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर लोकसभा चुनावों की मतगणना को लेकर की गई तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे।अग्रवाल ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी मतगणना केंद्रों पर उच्च गुणवत्ता वाली 100 एमबीपीएस (मेगा बाइट पर सेकेंड) की कम से कम 2 लीज लाइन की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रदेश में 10 लोकसभा क्षेत्रों तथा करनाल विधानसभा (21) उप चुनाव के लिए 44 स्थानों पर मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों में ईटीपीबीएस व पोस्टल बैलेट स्केनिंग के लिए 237 स्केनिंग टेबल लगाई जाएंगी।

एक टेबल पर 500 पोस्टल बैलेट की गणना की जाएगी। उन्होंने कहा कि मतगणना डयूटी में लगे कर्मचारियों का सेकंड रेंडमाइजेशन व प्रशिक्षण मतगणना तिथि से 24 घंटे पहले पूरा किया जाए।

20 साल बाद पहली बार हरियाणा में लोकसभा चुनावों में नहीं हुआ कोई री-पोल

हरियाणा में लोकसभा आम चुनाव-2024 में एक नया रिकॉर्ड बन गया है। 20 साल बाद यह पहली बार है कि राज्य में कहीं कोई री-पोल नहीं हुआ है। राज्य में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मतदान हुआ है और भारत निर्वाचन आयोग ने भी इसकी सराहना की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग अग्रवाल ने कहा कि 2004 से 2019 तक के लोकसभा चुनावों की यह कहानी रही है कि हर बार कभी न कभी री-पोलिंग अवश्य हुई है। उन्होंने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि 2004 के लोकसभा आम चुनावों के दौरान हरियाणा में 12 मई, 2004 को अंबाला, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, फरीदाबाद और भिवानी लोकसभा क्षेत्रों में कुल 11 मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान हुआ था। इसी प्रकार, 2009 के लोकसभा चुनावों में सिरसा लोकसभा क्षेत्र में एक मतदान केंद्र पर 13 मई, 2009 को पुनः मतदान हुआ था।

प्रदेश में 1 लाख 11 हजार 58 हैं सर्विस मतदाता

अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में सर्विस मतदाताओं की कुल संख्या 1 लाख 11 हजार 58 है। इसके तहत सर्विस वोटर मतगणना ड्यूटी पर तैनात मतदाता व अन्य कर्मचारी तथा गैरहाजिर मतदाता की गणना की जाती है। इसलिए अलग से नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि पोस्टल बैलेट एक अति महत्वपूर्ण दस्तावेज है।

महानिदेशक, सूचना, लोक सम्पर्क, भाषा तथा संस्कृति विभाग, हरियाणा
दिनांक 31 मई 2024
पंजाब केसरी दिल्ली